

विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा

आदेश

श्रीमती कवलजीत कौर, लिपिक का दिनांक 06.07.2020 से 06.08.2020 तक 31 दिनों का बालक देखरेख अवकाश हरियाणा सिविल सेवाएँ (अवकाश) नियम, 2016 के उप-नियम 46 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक  
14.07.2020

सुमित कुमार, एच0सी0एस0  
संयुक्त निदेशक प्रशासन  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पू0क्रमांक एए4-2020/62849-52

दिनांक 15.7.20

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सहायक निदेशक--कम--डी0डी0ओ0।
2. बिल सहायक।
3. श्रीमती कवलजीत कौर, लिपिक।
- ✓ 4. आई0टी0 सेल।

सप-अधीनस्थ (प्रशास-1)  
सुते.संयुक्त निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

15/7/20

SA/2

Arkita  
21/7/20

P. Singh